न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय सं०५ रामपुर।

उपस्थितः– प्रतिभा सक्सेना, उच्चतर न्यायिक सेवा।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– ७३/२०११

(रजि० नं०– ०४०००७३/२०११)

उ०प्र०राज्य ––––––बनाम –––––शेर सिंह पुत्र रामसहाय
निवासी ग्राम लखन ताजपुर,
थाना शाहबाद,जिला रामपुर
मु.अ.सं. १७६५/२००९
धारा ३(१)गैंगस्टर एक्ट
थाना–शाहबाद,जिला रामपुर।

२२–०३–२०१८

वाद पुकारा गया। अभियुक्त शेर सिंह जेरे हिरासत कारागार से उपस्थित आया। पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्त शेर सिंह द्वारा साक्ष्य के स्तर पर यह कहा गया कि वह अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है। उसने जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

अभियुक्त द्वारा एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह प्रस्तुत प्रकरण में काफी समय से जेल में निरूद्ध है, अपना जुर्म इकबाल करना चाहता है और जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

प्रस्तुत में अभियुक्तगण मुरारी व शेर सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक थाना शाहबाद हसनैन खां द्वारा धारा ३(१) गैंगस्टर अधिनियम दर्ज करायी गयी थी और यह कथन किया गया था कि थाना के अभिलेखों के अवलोकन एवं क्षेत्रीय जनता व मुखविरान के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना क्षेत्र के अभियुक्त शेर सिंह पुत्र राम सहाय व मुरारी पुत्र काशीराम का संगठित सक्रिय गिरोह है, जिसका गैंग लीडर शेर सिंह है। यह अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक लाभ पहुचाने व जमीन व जेबर आदि प्राप्त करने के लिए चोरी डकैती आदि अपराध एक गैंग बनाकर करते रहते हैं, जिस कारण इनका आसपास के गांवों में भय व आतंक व्याप्त है। इनके भय व आतंक के

कारण गांवों का कोई व्यक्ति सही घटना में भी गवाही , बयान देने की हिम्मत नहीं करते हैं, इनका आपराधिक कृत्य भारतीय दण्ड विधान के अध्याय १६ , १७ एवं २२ में वर्णित अपराध उ०प्र० गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत आता है। शेर सिंह आदि का आजाद रहना जनहित में नहीं है। इनका कृत्य समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम की धारा ३(१)गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत् है–

१– मु०अ०स० १९३/०९ धारा ३८२/४११ भा०दं०सं० थाना शाहबाद, जिला रामपुर।

२– मु०अ०स० १४७६/०९ धारा २५ आयुध अधिनियम थाना शाहबाद, जिला रामपुर।

३– मु०अ०स० ६८/ ०९ धारा ३७९/४११ भा०दं०सं० थाना शाहबाद जिला रामपुर।

४– मु०अ०स० ३६२/०९ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम थाना शाहबाद, जिला रामपुर।

अभियुक्तगण का गैंगचार्ट बनाकर जिलाधिकारी रामपुर से अनुमोदित करा लिया गया है और अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर एवं गैंगचार्ट में दिये मुकदमों के आधार पर धारा ३(१)गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना शाहबाद जनपद रामपुर में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा ३(१)गैंगस्टर एक्ट का अभियोग दर्ज हुआ । अभियुक्त शेर सिंह प्रस्तुत प्रकरण में कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में किये गये कथनों को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है। अभियुक्त द्वारा अन्य सदस्य के साथ मिलकर समाज में भय व आतंक व्याप्त करने एवं अपने भौतिक व आर्थिक लाभ कमाकर सम्पत्ति अर्जित करने के अपराध को स्वीकार किया गया है। अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार उसे धारा ३(१)उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त २ वर्ष ६ माह के

सश्रम कारावास एवं ५,०००/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शेर सिंह को उसके द्वारा की गयी अपराध संस्वीकृति के आधार पर धारा– ३(१) उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ में अपराध कारित करने के लिए दो वर्ष छः माह के कारावास व ५,०००/–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यदि पूर्व में कोई अवधि कारागार में बितायी गयी है तो वह अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी । अभियुक्त का सजायाबी वारन्ट बनाकर कारागार प्रेषित किया जाये।

दिनांकः २२–०३–२०१८ (प्रतिभा सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)
न्यायालय सं०५,रामपुर।

उक्त निर्णय ,आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः २२–०३–२०१८ (प्रतिभा सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)
न्यायालय सं०५,रामपुर।